राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

शंकरलाल बनाम जुगलकिशोर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	649/2025	
26.2.26	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 27/02/2026 को पेश हो	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
27.2.26	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30/04/2025 पारित करते हुये तदनुसार तहसीलदार जयपुर को ग्राम नांगलजैसाबोहरा पटवार क्षेत्र नांगलजैसाबोहरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झोटवाडा तहसील जयपुर, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 70 में से जो भूमि रकबा 0.5058 हैक्टेयर, जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो गयी है, उसे पृथक से जयपुर विकास प्राधिकरण के खाते में दर्ज किया जावे एवं शेष भूमि रकबा 2.6558 हैक्टेयर, ग्राम नांगल जैसा बोहरा पटवार हल्का नांगल जैसा बोहरा तहसील व जिला जयपुर पर मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश के साथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 18 से 21(राजस्व मण्डल अजमेर) की पालना करते हुये राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उभयपक्षकारान की मौजूदगी में तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30/04/2025 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में सहखातेदारान के मध्य विभाजन हेतु कुर्रेजात तलब किये जाने हेतु अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारी किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है	सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक अनिवार्य एवं आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है एवं अपीलार्थी द्वारा तकनीकी बिन्दुओ को उद्धरित करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री को अपील के माध्यम से निरस्त राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शंकरलाल बनाम जुगलकिशोर 649/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है, जिसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30/04/2025 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है एवं न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान 1 माह में वाद का अन्तिम निस्तारण करे |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 27/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर